[निजी प्रसार के लिए]

सी.एच.आर.आई.

अंक ६

अगस्त २०१०

लोक पुलिस

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

मासिक पत्रिका

"पुलिस अधिनियम में संशोधन सबसे पहले आवश्यक"

श्री डी.एम. मित्रा (जॉन), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश से पुलिस सुधार के विभिन्न पहलुओं पर ज़ीनत मलिक का साक्षात्कार।

आपके विचार में पुलिस में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? आधुनिक भारत की पुलिस में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे?

पुलिस में भर्ती के पहले सबको मालूम होता है कि पुलिस की छवि समाज में अच्छी नहीं है। पुलिस को लोग दोस्त नहीं मानते बल्कि डरते हैं। पुलिसवाला है तो भ्रष्ट होगा, थोड़े पैसे देकर कुछ भी करवा लो, यह आम धारणा है। लेकिन, जो पुलिस में भर्ती होता है वह यह सोचकर नहीं आता कि मुझे आगे चलकर सरकारी दम पर गुण्डा बनना है। हर नौजवान जो इसमें आता है वह यही सोचकर आता है कि कुछ ऐसा करूं कि परिवार में और समाज में सम्मान मिले।

फिर भर्ती के बाद क्या उसकी यही इच्छा, यही सोच वैसी ही रहती है जैसे आने के पहले थी? या फिर वह व्यक्ति पुलिस की व्याप्त छवि के अनुरूप बदल जाता है? मैं सोचता हूँ, ऐसे नौजवान जो अच्छी सोच लेकर आते हैं और महकमे में आकर बदल जाते हैं, तो शायद महकमे के ढ़ांचे में ही कुछ कमी होगी। यदि कुछ लोग व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं तो लोगों को दोष दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अगर गलत हो जाते हैं तो, व्यवस्था को ही देखना होगा।

क्या आपके विचार में पुलिस कानूनों में बदलाव के बगैर पुलिस में सुधार नहीं किया जा सकता?

पुलिस कानून की उत्पत्ती है। पुलिस का हर काम पुलिस कानून तथा आपराधिक कानूनों के तहत संचालित है। अगर ढ़ांचे को सुधारना है तो शुरूआत पुलिस अधिनियम से ही करनी होगी। इसलिए, पुलिस अधिनियम में संशोधन सबसे पहले आवश्यक है।

पहली बात, पुलिस व्यवस्था ऐसी हो कि पुलिस अपना काम स्वतंत्र होकर तथा व्यवसायिक ढ़ंग से कर पाए। लेकिन इसके लिए पुलिस कैसे काम कर रही है इसकी निगरानी किसी बाहरी संस्था/प्राधिकरण द्वारा करने कि आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में कोई भी व्यक्ति/संस्था पुर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकता वह या तो किसी से परिचालित होगा या किसी की निगरानी में होगा। इसलिए, अगर पुलिस को व्यवसायिक स्वतंत्रता मिलती है तो इसे बाहरी निगरानी की भी आवश्यकता है।

इसका दूसरा कारण यह भी है कि वर्तमान में जो आन्तरिक निगरानी की व्यवस्था है, वह पर्याप्त नहीं है। हर अधिकारी इतना व्यस्त है कि अपने जूनियर पर निगरानी रख ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा पुलिस का अपना नज़रिया है, जिस कारण कई दफा अपनी ही गलतियां दिखाई नहीं देती।

इसके अलावा पुलिस के बाहर जो मेजिस्टीरियल तथा मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं हैं, उनका भी अपना सीमित कार्यक्षेत्र है जिस नजरिये से वे पुलिस के सभी कामों को देखती हैं। पर, आवश्यकता है एक ऐसी एजेंसी की जो पुलिस के सभी कामों में संपूर्ण रूप से रुची रखे। ऐसा प्राधिकरण समाज की ओर से होना चाहिए, ताकि वह संकीर्ण राजनैतिक अथवा सामाजिक स्वार्थ से ग्रस्त न हो।

ऐसा प्राधिकरण, पुलिस कोई गलत काम न करे न केवल इस पर नजर रखेगा बल्कि यह अपना काम किस प्रकार कर रही है, इसे भी समझेगा। यह इस बात पर संतुलन रखेगा कि पुलिस अपना काम कर पाए एंव अपराध की रोक–थाम और अपराधियों को सज़ा दिलाने में विधि और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार भी करे। इस व्यवस्था के बाद, पुलिस को अपने व्यवासायिक स्वतंत्रता का उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा और वह अपना काम भी बेहतर तरीके से कर पाएगी। तब पुलिस के ऊपर किसी राजनैतिक, सांप्रदायिक अथवा सामाजिक संकीर्णता के आरोप नहीं लगेंगे। पुलिसकर्मी इससे परे रहकर अपना काम स्वाभिमान के साथ कर सकेंगे। इससे पुलिस को जनता का सहयोग भी अधिक मिलेगा और काम करना आसान हो जाएगा। परंतु, अगर व्यवासायिक स्वतंत्रता एंव बाहरी निगरानी दोनों में से कोई एक व्यवस्था भी सही तरह से स्थापित नहीं होती है तो 'पुलिस सुधार' असफल हो जाएगा।

जब तक पुलिस में सुधार नहीं हो रहा है, तब तक पुलिस और खास कर कांस्टेबुलरी को काम करने से संबंधित आपका क्या मशवरा है?

जब तक पुलिस सुधार नहीं होता है तब तक पुलिस अपना काम कानून के अनुरूप, व्यवासायिक सक्षमता एंव जनता के सहयोग से ठीक ढ़ंग से करने की कोशिश कर सकती है।

अगर आपकी नियुक्ति किसी राज्य के पुलिस प्रमुख के पद पर होती है तो, पुलिस बल में आप क्या सुधार लाएंगे ?

मैं सरकार और विधायिका के पास जाऊंगा और उनसे पुलिस सुधार में उपरोक्त सुधार तुरंत करने की आवश्यकता है बताऊंगा तथा पुलिस और जनता के अनुपात को भी तत्काल बढ़ाना है, पुलिस संसाधनों को भी उपलब्ध कराये जाने की मांग करूंगा और पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने की भी मांग करूंगा।

पुलिस में अच्छा नेतृत्व क्यों नहीं आ रहा है?

अच्छे नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि पुलिस का ढ़ांचा और पुलिस अधिनियम ऐसा बनाया जाए जिससे अच्छे अधिकारियों को नेतृत्व का अवसर प्राप्त हो सके।

कांस्टेबुलरी हमेशा वित्तीय कमी, जनता की ऊंची उम्मीदों और 'साहब' के निजी काम करने की शिकायत करती है। उनके अनुसार हर काम के लिए पैसा उन्हें स्वंय खर्च करना पड़ता है, आपका उन्हें क्या मशवरा है?

श्री डी. एम. मित्रा (जॉन)

उन्हें महकमे से काम करने के लिए संसाधन मिलना ही चाहिए न कि उन्हें जनता से लूटना पड़े या अपनी जेब से खर्च करना पड़े। अधिकारियों को अपना व्यक्तिगत काम अपने जूनियर से कतई नहीं करवाना चाहिए।

आपके अनुसार बदलाव न होने के मुख्य कारण क्या हैं?

विधि में बदलाव समाज के द्वारा ही लाया जा सकता है और समाज का जो राजनैतिक ढ़ांचा है वही समाज का सामूहिक निर्णय लेता है। इसलिए विधि में परिवर्तन, जो 'पुलिस सुधार' की प्राथमिक आवश्यकता है वह तब तक संभव नहीं है, जब तक समाज में इसके लिए लोकमत नहीं बनता है।

क्या आपके विचार में, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए? क्या इससे पुलिस को फायदा होगा? क्या इसके लिए महिलाओं को पुलिस में आरक्षण देना चाहिए?

हां, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या अवश्य बढ़नी चाहिए। पुलिस में समूचे समाज का प्रतिबिम्ब होना चाहिए, समाज के हर वर्ग का प्रतिबिम्ब होना चहिए। महिलाएं समाज में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रखती हैं तो उनका सार्थक प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इससे पुलिस के आम व्यवहार और आन्तरिक शिष्टता में सकारात्मक बदलाव आएगा। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं को आरक्षण भी देना चाहिए।

नार्को टेस्ट: उच्चतम न्यायालय द्वारा सच्चाई का पर्दाफाश

नीचे प्रस्तुत लेख नार्को टेस्ट पर उच्चतम न्यायालय के हाल के एक फैसले का विश्लेषण है। पिछले कुछ सालों में नार्को टेस्ट को पुलिस द्वारा जांच के लिए एक विश्वसनीय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्रस्तुत लेख द्वारा हमने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अपना दृष्टिकोण पेश किया है जबकि एक पुलिस अफसर होने के नाते आपके विचार और मत अलग हो सकते हैं। आपके अनुसार, नार्को टेस्ट जांच के लिए आवश्यक और मददगार हो सकता है। हमें भी अपने विचारों से अवगत कराएं या अगर आप हमारे मत से असहमत हैं तो भी बतलाएं।

आखिर न्यायपालिका ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट तथा ब्रेन मैपिंग के कष्टप्रद प्रकृति को पहचान कर उसकी निंदा की है। खासकर, उच्चतम न्यायालय ने हाल के (श्रीमति सेल्वी एंव अन्य बनाम कर्नाटक राज्य) केस के फैसले में ऐसे तमाम टेस्ट जो आरोपी की मर्जी के बगैर कराये जाते हैं उन्हें क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार बतलाया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा नार्को टेस्ट का विश्लेषण यह साफ़ तौर से बतलाता है कि किस प्रकार वे फैसले जो जांच के ऐसे वैज्ञानिक प्रकृति के सबूतों पर निर्भर होकर लिए जाते हैं, अस्वभाविक विवाद पैदा करते हैं क्योंकि वैज्ञानिक सबुतों की अविश्वसनीय प्रवृत्ति ने हमेशा ही वैज्ञानिक वैद्यता की साख घटाया है। उच्चतम न्यायालय का ये फ़ैसला संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

टेस्टों की अविश्वसनीयता

यह पहला क्षेत्र है जिसपर उच्चतम न्यायालय, बहुत से उच्च न्यायालयों से नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट तथा ब्रेन मैपिंग टेस्ट में इनकी वैद्यता और विश्वसनीयता के अंश पर असहमत है। साधारणतः बहुत से उच्च न्यायालयों ने इन टेस्टों को केवल इसलिए बगैर किसी आलोचना के सही मान लिया क्योंकि वे वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित हैं।

इसके विपरीत, उच्चतम न्यायालय ने इन टेस्टों की वैद्यता, विश्वसनीयता और उपयोग पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किस प्रकार प्रत्येक टेस्ट से गलत और भ्रामक जानकारी मिल सकती है। नार्को टेस्ट के वैज्ञानिक निर्भरता पर सवाल के समय, कोर्ट ने कहा "कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि ज्यादातर दवा पिलाने से किया गया रहस्योद्घाटन संबंधित सच्चाई से जुड़ा हुआ नहीं होता है बल्कि ज़्यादातर उनसे सब्जेक्ट के निजी जीवन के बारे में महत्वहीन जानकारी मिल सकती है"। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ सब्जेक्ट सवाल के दौरान आसानी से फंस सकते हैं जबकि दूसरे काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं। उसी तरह विभिन्न प्रकार के ब्रेन मैपिंग के लिए, जिसमें सब्जेक्ट के किसी निश्चित उत्तेजना से परिचित होने के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि अपराध से उसका जुड़ाव है कि नहीं। यह टेस्ट किसी को गलत तरीके से फंसा सकता है क्योंकि जांच में पाए गये उत्तेजना के बारे में सब्जेक्ट को पहले से जानकारी हो सकती है मीडिया रिपोर्ट द्वारा या फिर स्वंय जांच करने वालों द्वारा सच्चाई की जानकारी मिलने पर या फिर अगर सब्जेक्ट को ऐसे ही दर्शक के रूप में अपराध की जानकारी हो।

कुल मिलाकर, उच्चतम न्यायलय ने उच्च न्यायालयों द्वारा नार्को तथा ऐसे दूसरे टेस्टों के उपयोगिता पर निंभरता को जांच के तरीकों के रूप में अस्वीकार करके अच्छा किया। जांच के इन तरीकों पर अपना नजरिया साफ़ करने के दौरान कोर्ट को मौका मिला कि ऐसे परीक्षणों के दौरान जो संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ते थे उनका विश्लेषण किया जाए। खासकर, आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार और उचित प्रक्रिया के उपयोग का अधिकार।

आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट को नकार कर बहुत से उच्च न्यायालयों के फैसलों को रद्द कर दिया है क्योंकि इनसे सब्जेक्ट के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अन्तर्गत प्राप्त आत्म–दोषारोपण के खिलाफ़ अधिकार का हनन होता है। इसके अनुसार, "कोई भी व्यक्ति जो किसी अपराध का आरोपी है उसे अपने ही खिलाफ़ गवाही देने के लिए मजबुर नहीं किया जाएगा।" कोर्ट ने पाया की किसी पर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए दबाव डालना ही इस अनुच्छेद के अन्तर्गत 'जबरदस्ती के टेस्ट' को पूरा करता है फिर चाहे इन परिक्षणों के लिए शारीरिक तौर पर नुकसान हुआ हो या नहीं या फिर इनमें दिए गए सवालों के जवाब की भी बात न करें। दूसरी बात, कोर्ट ने पाया कि इस टेस्ट के दौरान जो भी जवाब सब्जेक्ट देता है वह अचेत अवस्था में और अपनी मर्जी के बगैर होता है। इसके अलावा, क्योंकि उस समय सब्जेक्ट के अन्दर इतनी क्षमता नहीं होती कि वह यह समझ सके कि उसे किस सवाल का जवाब देना चाहिए और किसका नहीं, इसलिए तीनों ही टेस्ट के नतीजे अनुच्छेद 20(3) के अन्तर्गत 'जबरदस्ती ली गई गवाही' कहलाएंगी चाहे कोई व्यक्ति टेस्ट के लिए स्वेच्छा से तैयार हुआ हो, इसके अन्तर्गत दिए गए जवाब स्वेच्छा से नहीं दिए जाते।

उचित प्रक्रिया का उपयोग

उच्च न्यायालयों ने इस मुद्दे पर बात करते हुए अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत सम्भावित अधिकारों के हनन पर बहुत कम ध्यान दिया है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने पाया कि नार्को टेस्ट अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत उपलब्ध प्राईवेसी के अधिकार का हनन करता है और क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार की हद तक पहुंच जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी मोटे तौर पर व्याख्या में कई और अधिकार भी शामिल होते हैं खासकर, उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही का अधिकार, प्राईवेसी का अधिकार, क्रूरता, प्रताड़ना, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहारों से सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त तीनों ही टेस्ट व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र में घुसपैठ करके उसके अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत मौजूद प्राईवेसी के अधिकार का हनन करते हैं क्योंकि यह सब्जेक्ट को जवाब देना है कि नहीं इस बात की आजादी नहीं देता और शारिरिक तौर पर भी उसे टेस्ट की जगह पर रोके भी रखता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने इन तीनों टेस्ट को इसके दौरान होने वाले मानसिक नुकसान और पुलिस तथा जेल अधिकारियों द्वारा टेस्ट के नतीजे के बाद सम्भावित शोषण के कारण क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक घोषित किया है। कोर्ट ने कहा, "किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया में जबरदस्ती घुसपैठ करना, मनुष्य की गरिमा और आज़ादी का तिरस्कार करना है क्योंकि ऐसे टेस्ट के संगीन और बहुत समय तक रहने वाले परिणाम होते हैं।"

शोषण के लिए खुला अपवाद

उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमति सेल्वी एंव अन्य बनाम कर्नाटक राज्य केस में दिया गया फैसला एक अच्छी उन्नति है। फिर भी, एक गंभीर चिंता बाकी है–क्या कानून लागु करने वाली एजेंसियों द्वारा इस फैसले के भावों का आदर किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय ने शोषण की गुंजाईश एक अपवाद के तहत छोड़ दिया है जिसमें कोर्ट ने यह कहा है कि जो जानकारी "अपनी मर्जी से टेस्ट" द्वारा हासिल किया जाता है, जैसेः जो बात इस टेस्ट से पता चलती है उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हांलाकि, यह अपवाद उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर ही लागू होता है जहां सब्जेक्ट को टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी है और फिर वह तीनों में से किसी टेस्ट के लिए तैयार होता है। लेकिन कोर्ट द्वारा इस अपवाद की मंजूरी इसके उस तर्क के खिलाफ जाती है जहां, स्वंय कोर्ट ने कहा है कि "स्वेच्छा से टेस्ट" करवाने में भी जो जानकारी दी जाती है वह अपनी मर्जी से नहीं दी जाती। यह अपवाद, जो इस विश्वास के आधार पर मान्य ठहराया गया है कि "स्वेच्छित टेस्ट" पूरी तरह सब्जेक्ट की मर्जी से किया जा रहा है कठिनाईयुक्त है। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और गवाहों पर किसी बात के लिए दबाव बनाने की क्षमता को नजरअन्दाज़ करता है। यह बहुत मुमकिन है कि पुलिस अपनी इसी क्षमता के इस्तेमाल से सब्जेक्ट को किसी भी टेस्ट के लिए तैयार करे और अगर ऐसा हुआ तो, फिर उच्चतम न्यायालय के फैसले का मज़ाक बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर ये आम तौर से माना जाता है कि डी. के. बासु दिशा निंदेश जिसके अन्तर्गत हिरासत में लोगों से व्यवहार के बारे में बताया गया है और ये निंदेश प्रत्येक थानों की दीवार पर उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे निंदेशों की तरह लगा हुआ मिल जाता है।

इन परीक्षणों की मान्यता के बारे में कोर्ट का यह सीमित अपवाद, वैसे प्रगतिशील फैसले में "एक जहरीले पेड़ के फल" की तरह है। इसलिए कोर्ट को अपने इस अपवाद के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है।

– नवाज़ कोतवाल

लोक पुलिस के इस अंक में कई लेख हैं। इन्हें पढ़ते हुए आपके मन में कई विचार उभरकर आए होंगे। हो सकता है आपकी राय में हमसे कुछ छूट गया हो या हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष न हो। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में छापेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

अपने सुझाव चौथे पेज पर दिये गए पते पर अदिति दत्ता को भेजें या ई–मेल करें:
aditi@humanrightsinitiative.org

पुलिस सुधार पर रोक: बेहतर पुलिस व्यवस्था की कुंजी

पुलिस की कठिनाईयां इतनी व्यापक रूप से जग–ज़ाहिर हैं कि इनके बारे में अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है कि इन कठिनाईयों का हल ढूँढ़ा जाए। प्रजातंत्र में, पुलिस और राजनैतिक कार्यकारिणी का रिश्ता हमेशा गहरा होता है। दोनों सामान्य उधमों से बंधे हुए हैं जैसेः अपराधों को रोकने, उनकी जांच–पड़ताल करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और इस बात को सुनिश्चित करने की, कि समाज में अच्छा इंतजाम हो, आवश्यक सेवाएं अच्छी तरह कार्यरत हों, और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ती की सुरक्षा बनी रहे।

अच्छी पुलिस व्यवस्था की कुंजी राजनैतिक कार्यकारिणी (अर्थात् ब्युरोक्रेसी और जन प्रतिनिधि) और पुलिस की भुमिका के साफ तौर से परिभाषित करने तथा इन्हें इनकी शक्तियों की सीमा से अवगत कराने में निहित है।

जो लोग पुलिस पर अपनी पकड़ ढ़ीली करने से डरते हैं, वे कभी–कभी जानबूझकर ऐसे चिह्न दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस को किसी भी प्रकार का निरंकुश अधिकार दिया गया तो इससे एक पूरी तरह से स्वतंत्र और नियंत्रण से बाहर पुलिस बल का जन्म होगा। हांलाकि इसके विपरीत, आज की बदहाल पुलिस–कार्यकारिणी रिश्ते ने हमें एक ऐसा बल दिया है जिसकी शक्ति पर बहुत कम नियंत्रण है।

इसमें कोई सवाल नहीं कि राजनैतिक कार्यकारिणी हर हाल में सर्वश्रेष्ट होनी चाहिए लेकिन यह रिश्ता सहजीवी होना चाहिए न कि परजीवी या निर्भर।

इस रिश्ते का एक प्रस्तावित मॉडल कुछ इस प्रकार का होः

"राज्य पुलिस प्रमुख के कर्तव्य और स्वतंत्रता"

समुचे राज्य की पुलिस का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और संचालन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) स्तर के अधिकारी के हाथों में होगा।

डी. जी. पी., मंत्री के प्रति निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होगाः

1 पुलिस के कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में
2 पुलिस के साधारण आचरण के बारे में
3 पुलिस के प्रभावशाली, कुशल और आर्थिक प्रबंधन के बारे में
4 मंत्री को सलाह देना
5 मंत्री के किसी भी कानूनी निर्देश का पालन करना।

डी.जी.पी. निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और मंत्री से स्वतंत्र होकर काम करेंगेः

1 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर कानून व्यवस्था के निर्वाह में,
2 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर कानून के प्रचलन से संबंधित मामलों में,
3 अपराधों के जांच और अभियोजन से संबंधित विषयों में, तथा
4 किसी विशेष पुलिस अफसर के बारे में निर्णय लेने में।

मंत्री, डी.जी.पी. को सरकार की उन नीतियों से संबंधित निर्देश दे सकते हैं जो निम्नलिखित विषयों से जुड़े हों:

1 अपराध को रोकने में
2 जनता की सुरक्षा और व्यवस्था के रख–रखाव से संबंधित मामलों में
3 पुलिस सेवा की डिलिवरी में
4 कानून लागू करने के साधारण क्षेत्र में

मंत्री, डी.जी.पी. को कोई भी ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं जिसके कारण किसी खास कानून का पालन नहीं किया जा सके।

मंत्री को निम्नलिखित विषयों पर डी. जी.पी. को निर्देश नहीं देना चाहिएः

1 किसी खास प्रकरण या खास प्रकार के प्रकरणों में कानूनों के लागू करने में,
2 किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से जुड़े मामलों में,
3 पुलिस के किसी खास सदस्य के बारे में निर्णय लेने से संबंधित मामलों में।

अगर मंत्री और डी.जी.पी. में किसी एक निर्देश को मानने के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो इसके तुरंत बाद मंत्री को चाहिए कि :

1 वह अपना निर्देश लिखित रुप में डी.जी.पी. को दे, और
2 इसकी एक कॉपी राजपत्र में छापे, और
3 इसकी एक कॉपी विधानसभा में प्रस्तुत करे।

यह सच है कि वर्तमान कानून, पुलिस का 'पर्यवेक्षण' कैसे किया जाए इस विषय पर अस्पष्ट है तथा राजनैतिक कार्यकारिणी की शक्तियों को भी स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं करता, लेकिन पुलिस नियम पुस्तिका में यह साफ लिखा है कि कैसे और किसके द्वारा प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार, जांच में किसी भी कोने से, किसी के द्वारा भी अवरोध पैदा करने के खिलाफ भी साफ कानून अंकित है। लेकिन यह सब इनके उल्लंघन में किया जाता है। न्यायसंगत निरीक्षण विकृत होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग पुलिसकर्मियों के तबादले, नियुक्ति, पदोन्नती या उनके निलम्बन के लिए इस्तेमाल करता है, कभी सजा तो कहीं इनाम के तौर पर। आज 'नियंत्रण और निरीक्षण' उस मकसद से बिल्कुल भिन्न है, जो इन्हें बनाने के समय था।

हांलाकि, अव्यवस्थित ही सही लेकिन हम 'पुलिस सुधार' के युग में हैं। 30 सालों के बाद, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों पर से धूल छांटी गई है। कई समितियों ने अनगिनत घंटे लगाये हैं प्राथमिकताओं को चुनने में। श्री सोली सोराबजी की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने एक नया मॉडल पुलिस विधेयक बनाया है जोकि पूरे देश के कानून बनाने वालों के फायदे के लिए है। नागरिक समाज ने इसमें सुधार किए हैं और अब यह नीति–निर्धारकों से अपनी ओर ध्यान देने का निवेदन कर रहा है।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कुछ और सलाह जोड़ी गई हैं जिनसे कि पुलिस बल में बदलाव लाकर इसे एक भरोसेमंद सेवा बनाई जा सके। शासन करने वाली पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में "पुलिस सुधार की आवश्यकता" को चिन्हित किया है और कहा है कि "राजनितिक कार्यकारिणी और प्रशासन में एक साफ अन्तर लाया जाएगा।"

यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी सुधार के लिए एक रोड–मैप बनाया है। इसका निर्देश करीब 4 साल पहले आ चुका है। तब से अब तक हर सरकार इसके अनुपालन से बचती रही है। कुछ ने तो अपने रोजमर्रा के कामों में पड़कर इस ओर की गति ही बदल दी है, कुछ ने इसके तहत ऐसे संस्थानों की स्थापना की है जो कि उच्चतम न्यायालय के मकसद को कतई पूरा नहीं कर सकते हैं और कईयों ने कुछ किया ही नहीं है।

इस दौरान, ईमानदार और कानून का पालन करने वाले पुलिसकर्मियों की कमी के कारण, देश और व्यक्ति की सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बेकार पुलिस व्यवस्था की जड़ कितनी गहरी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस हद तक किसी राजनितिक पार्टी का इस पर नियंत्रण है। पुलिस के कमजोर नेतृत्व ने इसके रोजमर्रा के काम–काज को चलाने के लिए अनुचित हस्तक्षेप के आगे घुटने टेक दिए हैं और अनौपचारिक मगर शक्तिशाली प्रभावों को पुलिस के काम–काज में अपने पदचिह्न छोड़ने की स्वीकृति दे दी है। अगर पुलिस को सुधारना है तो इसे ठीक करना होगा। समाधान मौजूद है, बस राजनैतिक इच्छा–शक्ति की कमी है।

– माया दारूवाला

आपके विचार

नमस्ते जी,

मैं पंजाब में मानव अधिकारों के लिए काम करता हूँ। मैंने सी.एच.आर.आई. की वेबसाईट पर 'लोक पुलिस' देखा, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में बात भी की है।

मैं चाहता हूँ कि आपका यह 'लोक पुलिस' पेपर पंजाब के सभी थानों में भेजा जाए और अगर आप चाहें तो मैं सी.एच. आर.आई. के लिए पंजाब में यह काम कर सकता हूँ, इससे पुलिस वालों को मानव अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी।

कमलजीत सिंह, पंजाब
a2zlearningcentre@gmail.com

यह एक ऐसी पत्रिका है जो आम जनता में 'पुलिस संस्थान' के बारे में जानकारी फैला रही है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह हिन्दी भाषा में है जिसके कारण इसे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकेंगे।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहुंगा–यह पत्रिका विभिन्न भाषाओं में छपनी चाहिए तथा एक विशेष घटना की पुलिस के हिसाब से केस स्टडी भी छपनी चाहिए।

सबसे अहम बात यह है कि इसे प्राईमरी स्कूलों में बांटना चाहिए ताकि बच्चों के माता–पिता भी इसके विभिन्न मौकों पर अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। इस तरह यह संगठन के लक्ष्य को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा।

शशि कांत
प्राध्यापक
पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज
दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली

आप भी इस अंक में शामिल लेखों पर अपने विचारों से हमें अवगत करायें। हम आपके नज़रिये का सम्मान करते हैं क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और इस प्रकार का सहयोग ही पुलिस से जुड़े मामलों में बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं और आपके विचारों /प्रतिक्रियाओं को भी **'लोक पुलिस'** में शामिल किया जाएगा।

पुलिस समाचार – हर कोने की हलचल

फिंगर प्रिंट लेने का नया तरीका

जांच के दौरान, जांच अधिकारी किसी का फिंगर प्रिंट यह जानने के लिए ले सकते हैं कि वह व्यक्ति कथित अपराध में शामिल था कि नहीं। लेकिन, क्या ऐसा जांच के दौरान किया जा सकता है या गिरफ्तारी के बाद ? मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार, फिंगर प्रिंट केवल गिरफ्तारी या सज़ा के बाद ही लिया जा सकता है। जिनका फिंगर प्रिंट लिया जा रहा है अगर कोर्ट ने उन्हें सज़ा नहीं सुनाई तो ऐसे व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट ने सज़ा भी सुना दी है तो ऐसे लोगों के फिंगर प्रिंट भविष्य के लिए रखे जाएंगे। अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति को केवल पुछ–ताछ के लिए बुलाया गया है तो, उनके फिंगर प्रिंट नहीं ले सकते हैं। हांलाकि इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल थाने में हो सकता है लेकिन वह कानून और पुलिस रेगुलेशन के विरूद्ध होगा। इस तरह मध्य प्रदेश पुलिस के पास करीब 3 लाख नमूने इकट्ठा हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश पुलिस में पुराने सियाही के निशान से फिंगर प्रिंट लेने के तरीके को हटाकर अब इसके लिए जीवित स्कैन करने वाले यंत्रों को राज्य के तकरीबन 944 थानों में लगाने का निर्णय लिया गया है। तकनीक का यह इस्तेमाल मुख्य रूप से इसलिए किया जा रहा है कि पुराने तरीके से फिंगर प्रिंट लेकर पुलिस विभाग के सरवर में मौजूद तकरीबन 3 लाख नमुनों से इसकी तुलना करने के लिए भेजने में जो समय लगता था उससे बचा जा सके। प्रत्येक थाने के सी.पी.यू.को पुलिस मुख्यालय में मौजूद एक मुख्य सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। जब भी किसी संदिग्ध व्यक्ति के उंगलियों के निशान को किसी भी थाने में स्कैन किया जाएगा, यह अपने आप ही मुख्य सर्वर से जुड़ जाएगा और अपराधी का इतिहास दर्शाएगा।

तकनीक का उन्नतीकरण, खोज और सत्यापन में शीघ्रता लाने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान समय में, फिंगर प्रिंट को डाटा में मौजूद नमूनों से तुलना कराने में कम से कम एक हफ्ता लग जाता है।

(सौजन्यः डेली पॉयनीयर डॉट कॉम, 15 जुलाई 2010)

अब नेता करेगा रखवाली

पिछले दिनों पुलिस बल में अधिकारियों की कमी का असर कुछ इस रूप में देखने को मिला कि एक नेता को अपने क्षेत्र में लोगों की जान–माल की सुरक्षा के लिए खुद ही आगे आना पड़ा।

पंचमहल जिला के संतरामपुर में गांव वालों से लूट की घटनाएं सामने आई तथा 16 जुलाई को एक महिला की लूट के बाद हत्या की खबर मिलने से इलाके में भय व्याप्त है। यह सब देखकर वहां के एम.एल.ए. प्रंजयआदित्यासिंह परमार ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक और पास के गांव के कुछ लोगों के साथ रात के साढ़े दस बजे से लेकर सुबह तीन बजे तक इलाके की निगरानी करना शुरू किया है।

इस तालुका के 2.5 लाख जनसंख्या के लिए केवल 51 पुलिसकर्मी मौजूद हैं और एम.एल.ए. के अनुसार ये पुलिसकर्मी अत्यधिक काम से परेशान हैं और इनके लिए इस संख्या के साथ पूरे क्षेत्र की निगरानी करना सम्भव नहीं होगा।

हांलाकि, एक जन–प्रतिनिधि का जन–सुरक्षा के लिए सामने आना अच्छी बात है मगर यह समस्या का समाधान नहीं है। समस्या है पुलिस और जनता के अनुपात में कमी की, जिसका निवारण करना राज्य सरकारों का काम है। उम्मीद है, इस ओर ध्यान दिया जाएगा और राजनेताओं को जनता की सेवा के दूसरे अवसर दिए जाएंगे।

(सौजन्यः इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, 26 जुलाई 2010)

गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को पुलिस सुधार पर परामर्श

गृह मंत्रालय की सलाहकार निकाय ने सभी राज्य सरकारों के लिए पुलिस सुधार के बेहद आवश्यक और बहुत दिनों से विचाराधीन मुद्दे पर एक परामर्श जारी किया है। हांलाकि 'पुलिस' और 'जन व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, संघ राज्य ने अपराधों की रोक–थाम को अत्यधिक महत्व देते हुए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यों के प्रशासकों को यह परामर्श भेजा है कि 'अपराध और न्याय व्यवस्था' के संचलन तथा अपराधों पर रोक और नियंत्रण पर प्रशासन विशिष्ट ध्यान दें।

इसी इरादे से गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्यों के प्रशासकों को अपराधों को प्रभावशाली तरीके से रोकने, पता लगाने, रजिस्ट्रेशन, जांच और मुकदमे के लिए अपने इलाके में निम्नलिखित कदम उठाने को कहा है:

रोक–थाम

1 पुलिस विभाग में रिक्त पद अति शीघ्र भरे जाने चाहिए। भर्ती पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ तथा भष्टाचार से परे होना चाहिए।

2 इंटेलिजेंस के लिए एक अलग कैडर होना चाहिए जिसके लिए प्रत्येक थाने में समर्पित इंटेलिजेंस अफसर की नियुक्ति होनी चाहिए तथा बीट कांस्टेबल व्यवस्था को फिर से सक्रिय करना होगा जिसमें उपयुक्त आधुनिकीकरण और स्थानीयकरण की भी स्थापना की जा सकती है।

3 सभी थानों की इमारत पक्की बननी चाहिए, वाहन तथा संचार यंत्रों को अधिक प्रभावशाली और निपुण बनाया जाए। पुराने और बेकार हथियारों का आधुनिकीकरण किया जाए, जिसमें की बन्दूकें और दंगा नियंत्रण यंत्र भी शामिल हैं खासकर उन क्षेत्रों में, जो संवेदनशील और अपराध सम्भावित हैं।

4 प्रशिक्षण पर खास बल दिया जाना चाहिए। पुलिस को व्यव्हारिकता पर भी उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इनका व्यवहार जनता तथा सेवा अनुरूप हो सके। पुलिस को कमजोर वर्ग जैसेः महिलाएं, बच्चे, अनुसुचित जाति और जनजाति, अपंग तथा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अपराधों के मामले में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

5 पुलिस बल को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि किस तरह वह, हर प्रकार की आपातकालीन स्थिति का सामना करे और किसी आपातकालीन स्थिति में कम से कम समय में प्रभावशाली और निपुणता से काम कर सके।

रजिस्ट्रेशन

6 हर थाने में एक रीसेप्शन अफसर (हेड कांस्टेबल स्तर का) हर समय मौजूद होना चाहिए। हर प्रार्थी शिकायतकर्ता के साथ समान और साफ व्यवहार होना चाहिए बिना उसकी हैसियत, वर्ग, संप्रदाय के भेद–भाव के। सभी शिकायत की रसीद उसी समय दी जानी चाहिए।

7 जब भी एफ.आई.आर. दर्ज होता है, शिकायतकर्ता को एक साईन की हुई कॉपी उसी समय दिया जाना चाहिए। इस में किसी भी प्रकार के कर्तव्यत्याग पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

8 प्रत्येक थाने में 'बाल एंव महिला अपराध डेस्क' अलग से बनाया जाना चाहिए।

9 'अपराधों के जांच सम्बंधित काम' को 'कानून और व्यवस्था के कर्तव्य' से हर हाल में अलग करना होगा। इससे तहकीकात के कामों में निपुणता आएगी। यह अलगाव शहरी थानों में शुरू होने चाहिए। पुलिस के गैर बुनियादी काम, बाहरी स्रोतों से करवाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पुलिसकर्मी, पुलिस के बुनियादी कामों को करने के लिए उपलब्ध हो सकें।

10 फोरेंसिक सुविधाओं को सुधारने और बढ़ाने की आवश्यकता है।

11 जांच–पड़ताल पुछ–ताछ के लिए बेहतर वैज्ञानिक हुनर और तरीकों का इस्तेमाल, कानूनी, व्यक्तिगत, आरोपी, पीड़ित तथा गवाहों के मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए अवश्य करना चाहिए।

अभियोग पक्ष

12 हुनरमंद सरकारी वकील की कानूनी सलाह और सेवा उपलब्ध होना चाहिए।

13 अभियोजन पक्ष के केसों की उन्नती की लगातार निगरानी और समीक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकारों और संघ राज्यों की सरकारों को उचित स्तर पर भेजी जानी चाहिए।

पुलिस–समुदाय–सिविल समाज की भागीदारी

14 नागरिकों को अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

15 वरीष्ठ पुलिस अधिकारीयों को 'निवासी कल्याण समितियों' और दूसरी समितियों के साथ लगातार मिटींग करनी चाहिए।

16 हर थाना क्षेत्र में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की पहल को प्रोत्साहित करना चाहिए। हर थाने में 'कम्युनिटी काउंसेलिंग सेंटर' स्थापित करना चाहिए, खास तौर से महिलाओं, बच्चों और दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों के झगड़ों के निपटारे के लिए। 'कम्युनिटी काउंसेलिंग सेंटर' को कायम रखने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा दूसरी सरकारी एजेंसियों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

इन दिशा–निर्देशों से पुलिस के काम करने के तरीके में सुधार आने की सम्भवना है तथा इसमें आन्तरिक स्तर पर बदलाव होने की भी सम्भावना है।

(सौजन्यः एफ. नम्बर - 24013 / 201 / 2009 - सी.एस.आर- III, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 16 जुलाई 2010)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादकः ज़ीनत मलिक, बी–११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली:११००१७, भारत
टेलीः +९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्सः +९१ ११ २६८६ ४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org